85

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R 4292 – I 16

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 21/12 को प्रस्तुत
22-12-16
रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
852
21/12/16

1– बनवारी लाल पुत्र जुगराज मीणा

2– सुरेन्द्र पुत्र जुगराज मीणी

निवासीगण– गोठरा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) ————आवेदकगण

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन —————अनावेदक

2– मृतक मौसमीबाई पत्नि बृजराज सिंह गुर्जर द्वारा– बृजराज सिंह

3– रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल गुर्जर

निवासीगण– फूल्दा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) ———तरतीवी अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र.उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–2

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता –1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 19/2010–11/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 247 रकवा 0.84 हैक्टर एवं भूमि सर्वे कमांक 259 रकवा 0.45 हैक्टर कृषि भूमि ग्राम गोठरा में स्थित है जिसका नायब तहसीलदार महोदय मानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 186/2005–06/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 9–10–2006 को आवेदक के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4292—एक/16 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14—2—19	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज़ों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 19/2010—11/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.9.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	